B.A. PART-II 4th Paper

Page No. 1

[INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION]

प्र. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पर एक निबंध प्रस्तुत करें।

उत्तर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 29 अप्रैल 1919 को स्थापित किया गया और इसे राष्ट्रसंघ (League of Nations) के साथ संलग्न कर दिया गया, प्रारम्भ से ही ILO एक स्वतंत्र निकाय रही है, इस संगठन का उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में श्रमिकों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का रहा है यद्यपि ILO का प्रथम सत्र Oct 1919 में वांशिगटन में हुआ लेकिन 1939 तक USA इसका सदस्य नहीं रहा।

U.N.O की स्थापना के बाद ILO को इसका एक विशिष्ट अभिकरण बनाया गया, UNO के अंतर्गत 1946 से ILO ने काम करना शुरु किया। U.N.O Charter के अनुच्छेद -2 में ILO का उद्देश्य इस प्रकार व्यक्त किए गए है।

"Beleiving that experience has fully demonistrated the truth of that State-ments in the Constitution of the International Labour organisation that lasting Peace can be established only if it is best on Soical Justice."

इस प्रकार ILO का उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है जिसके आधार पर विश्व में स्थायी शांति की स्थापना की जा सकती है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन (1946) में ILO का अन्य उद्देश्य इस प्रकार बतलाए गए :-

[1] बिना जाति लिंग, वंश के भेद-भाव किए सम्पूर्ण मानव प्राणी को अपने भौतिक तथा आध्यात्मिक का विकास करने का अधिकार होगा यह विकास स्वतंत्रता, आर्थिक, सुरक्षा और समान अवसर के स्थिति में संभव होगा।

[2] ऐसी दशा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीति में उन्हें केन्द्रीय स्थान दिया जाय।

[3] सभी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों एवं प्रयासों को इसी आधार पर जाँचा जाना चाहिए एवं तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब इसे मौलिक उद्देश्य को बढ़ावा देने में मदद करे।

(4) इस मौलिक उद्देश्य के आलोक में सभी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं

वित्तीय नीतियों को जाँचने का अधिकार ILO का होगा। ILO को जो कार्य सौंपे गए हैं, सभी आर्थिक एवं वित्तीय कारकों पर विचार करते हुए कोई भी प्रावधान या व्यवस्था कर सकती है जो यह उपयुक्त समझे।

Composition of ILO

UN Charter के अनुसार ILO में UNO का कोई भी सदस्य सदस्यता प्राप्त कर सकता है अगर वह ILO की सदस्यता के लिए निर्धारित दायित्व को स्वीकार करता है, UNO का कोई ऐसा सदस्य जो ILO का सदस्य नहीं निर्धारित दायित्व को स्वीकार करता है, UNO का कोई ऐसा सदस्य जो ILO का सदस्य नहीं रहा, है, वह भी ILO के सामान्य सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर सदस्य बन सकता है प्रत्येक ILO के सदस्य राष्ट्र को ILO के convention को अनुमोदित करना होता है और ILO को प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन देना होता है।

ILO के मुख्य तीन अंग है।

[A] आम अधिवेशन General Conference :-

यह व्यवस्थापिका सभा ILO के सभी सदस्य इसके प्रतिनिधि होते है इसमे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के दो सरकारी प्रतिनिधि, एक श्रमिकों के प्रतिनिधि और एक नियोजक के प्रतिनिधि होते है, सरकारी प्रतिनिधियों को छोड़कर शिष्टमंडल के सभी सदस्य व्यक्ति के रूप मे मतदान करते है इसके अधिवेशन मे किसी भी सिफारिश को पास करने के लिए, दो तिहाई मत मतदान की आवश्यकता है, सामान्य अधिवेशन का प्रमुख कार्य श्रम एवं रहन-सहन के स्तर का न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड निर्धारित करता है।
इसके अतिरिक्त आम अधिवेशन ILO के शासकीय निकाय के सदस्यों को चुनता है वार्षिक बजट पारित करता है तथा सदस्य राष्ट्रो मे ILO के सिफारिशो के कार्यान्वयन प्रतिवेदन की समीक्षा करता है

[B] शासित निकाय :- ILO का दूसरा मुख्य अंग शासित निकाय है जो ILO का कार्यपालक अंग कहा जा सकता है Governing Body के सदस्य आठ

~~सदस्य~~ अधिवेशन द्वारा चुने जाते है इसमे 48 सदस्य होते है जिनमे 24 सरकारी प्रतिनिधि 12 श्रमिको के प्रतिनिधि 12 नियोजको के प्रतिनिधि जिनमे श्रमिको के प्रतिनिधि नियोजको के प्रतिनिधि होते है प्रशासकीय निकाय कार्यक्रम के लिए मुद्दों का चुनाव करती है
ILO के Director General की बहाली करती है। (तीन वर्ष के लिए बैठक वर्ष मे तीन चार बार) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के कार्यों का (रूप रेखा) सर्वेक्षण करना है और बजट प्रस्ताव के लिए मसौदा तैयार करता है

[C] अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय :— ILO का तीसरा अंग अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय है जो ILO का स्थायी सचिवालय है जिसका प्रधान एक Director General होता है अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय अपने लिए दस्तावेज तैयार करता है समय समय पर महत्वपूर्ण श्रम से सम्बंधित सूचनाएं को प्रकाशित करता है

FUNCTIONS of ILO

ILO के विस्तृत उद्देश्य के आलोक मे इसके विभिन्न प्रकार के कार्य इस प्रकार के है —

[i] ILO पूर्ण रोजगार एवं रहन - सहन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सभी आवश्यक कार्य सम्पादित करेगा।

[ii] ILO इस बात को निश्चित करेगा कि श्रमिकों को (जैसे ही) व्यवसायों मे रोजगार प्रदान किए जाए जिसमें कि वे अपने पूरे कार्यकुशलता एवं उपलब्धियों को लगा सके तथा सामान्य भलाई मे अधिक से अधिक योगदान कर सके।

[iii] इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ILO श्रमिकों के प्रशिक्षण व्यवस्था तथा श्रम के हस्तांतरण लिए प्रावधान करेगा।

[iv] ILO श्रमिकों की मजदूरी जीविका यापन काम के घण्टे तथा काम की दशाओ के सम्बन्ध मे नीति निर्माण करेगा। जिससे विकास के लाभ न्यायोचित हिस्सा सबको मिल सके। और सभी रोजगार मे लगे लोगो को न्यूनतम जीवन यापन मजदूरी प्राप्त हो सके।

(v) ILO प्रबन्ध (Mangement) मे सहकारिता को प्रभावी ढंग से मान्यता देगा।

जिससे उत्पादन क्षमता मे वृद्धि हो सके तथा श्रमिको एवं रोजगार दाताओं के बीच मे सामाजिक, आर्थिक कदम उठाने मे परस्पर सहयोग हो सके

(vi) ILO सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित कार्यो को बढ़ावा दिया, जिससे वैसे सभी लोगो को जिन्हे सुरक्षा तथा चिकित्सा की आवश्यकता हो बुनियादी आमदनी प्राप्त हो सके।

(vii) सभी व्यवसायों मे लगे श्रमिको के जीवन और स्वास्थ्य सम्बंधि पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था ILO का उत्तरदायित्व होगा।

(viii) ILO बाल कल्याण तथा मातृ कल्याण सम्बंधी प्रावधान का व्यवस्थापन करेगा।

(ix) ILO रोजगार का श्रम मे लगे लोगो के भौतिक व्यवहार एवं नियोग, तथा मनोरंजन सम्बंधी सभी व्यवस्थाओ करेगा।

ILO का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है। जिसने व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है, कई देशों मे तकनीकि प्रशिक्षण के अंतर्गत

में सहायता की है तथा रोजगार सेवा संगठनों की स्थापना की है।

ILO ने विश्व के सभी हिस्सों में कई प्रकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी आन्दोलन चलाया है तथा श्रम संगठनों के अधिकारों तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रयास किया है। ILO ने अतिरिक्त श्रम वाले देश से उन देशों में श्रमिकों को ले जाने का कार्य किया है जहाँ श्रम की मांग बहुत ज्यादा है। इसके अतिरिक्त ILO ने श्रमिकों के लिए आचार कोड से बनाने का कार्य किया है तथा विश्व में मानसिक शान्ति की आवश्यकता के लिए निवेदन करवाया है।

1960 में ILO ने World Employment Programme प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम सम्बन्धी अब तक के सबसे बड़े एवं विस्तृत शोध कार्य चलाया है। विभिन्न देशों में रोजगार विशेषज्ञ एवं इस प्रकार के शोध में लगे हुए हैं।

विश्व के श्रम एवं रोजगार समस्याओं को सुलझाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके

लिए पृथक नीतियों का निर्माण किया जाए। लेकिन ऐसी नीतियों का करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रमुख श्रम एवं रोजगार सम्बन्धी सूचनाएं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो। ILO इस प्रकार के सूचनाएं संग्रह करने में अहम भूमिका निभा रही है। समय-समय पर ILO ने श्रम एवं रोजगार के स्रोतों से विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ प्रदान की है जिसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार सम्बन्धी नीति निर्धारित की जा सकती है।

The End